SECOND HALF YEARLY DEPARTMENTAL EXAMINATION, 2013

CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE, BIHAR

LAW (WITH BOOKS)—FOR INDIAN POLICE SERVICE OFFICERS.

Time—Three hours.

Full marks—160
Pass marks—100

Part-'A'/खंड-'क'

Objective type questions/वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Answer all questions. ***Four*** *alternatives answers have been given for each question. Only* ***one*** *answer is correct. Write the answer in front of the question at the place provided for it. There is no negative marking.*

सभी प्रश्नों का उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं । केवल एक उत्तर सही है । प्रश्न के सामने दिये गये स्थान पर अपना उत्तर लिखें । गलत उत्तर के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे । 40×2=80

1. According to Bihar Police Act, 2007, State Police Board will be headed by—
(*a*) Chief Minister ☐ (*b*) Chief Secretary ☐
(*c*) Director General of Police ☐ (*d*) Home Secretary. ☐
बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अनुसार राज्य पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे--
(क) मुख्य मंत्री ☐ (ख) मुख्य सचिव ☐
(ग) पुलिस महानिदेशक ☐ (घ) गृह सचिव । ☐

2. A report made by a Police Officer in a case which discloses a commission of a Non-cognizable offence after investigation shall deemed to be—
(*a*) Police report ☐ (*b*) Charge sheet ☐
(*c*) Complaint ☐ (*d*) Final report. ☐
पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्वेषण के बाद तैयार किया गया प्रतिवेदन से यदि असंज्ञेय अपराध का पता चलता है तब वह प्रतिवेदन माना जायेगा--
(क) पुलिस प्रतिवेदन ☐ (ख) आरोप-पत्र ☐
(ग) परिवाद ☐ (घ) अंतिम प्रतिवेदन । ☐

3. Who is given protection from arrest under 45 of Cr. P.C.—
(*a*) President of India ☐ (*b*) Judicial Officers ☐
(*c*) Members of Armed Forces ☐ (*d*) Members of Parliament. ☐
द०प्र०सं० की धारा 45 में किन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है--
(क) भारत के राष्ट्रपति ☐ (ख) न्यायिक पदाधिकारी ☐
(ग) सशस्त्र बल के सदस्य ☐ (घ) संसद के सदस्य । ☐

4. Section 265 A of Cr. P.C. deals with—
(*a*) Summary Trial ☐ (*b*) Plea bargaining ☐
(*c*) Identification of accused ☐ (*d*) Medical Examination of Rape Accused. ☐

द०प्र०सं० की धारा 265ए संबंधित है--

(क) संक्षिप्त विचारण ☐ (ख) अभिवाक् सौदाबाजी ☐

(ग) अभियुक्तों की शिनाख्त ☐ (घ) बलात्संग के अभियुक्त । ☐

5. Under which Sectionof Cr. P.C. a Police can summon accused in certain cases to know the facts of an incident—

(*a*) Section 160 Cr. P.C. ☐ (*b*) Section 41 Cr. P.C. ☐

(*c*) Section 162 Cr. P.C. ☐ (*d*) None of the above. ☐

पुलिस पदाधिकारी द्वारा कुछ मामले में अभियुक्त से तथ्य की जानकारी के लिये सम्मन करने का प्रावधान द०प्र०सं० की किस धारा में है--

(क) धारा 160 द०प्र०सं० ☐ (ख) धारा 41 द०प्र०सं० ☐

(ग) धारा 162 द०प्र०सं० ☐ (घ) इनमें से कोई नहीं । ☐

6. The provision of taking statement of rape victim at her residence is provided in section...........of Cr. P.C.—

(*a*) 53 ☐ (*b*) 157 ☐

(*c*) 158 ☐ (*d*) 161. ☐

बलात्संग के अपराध की पीड़िता का कथन का अभिलेखन उसके आवास पर लेने का प्रावधान द०प्र०सं० की धारा....... में है--

(क) 53 ☐ (ख) 157 ☐

(ग) 158 ☐ (घ) 161 । ☐

7. An accused is hanged in a murder case. What punishment will the witness get if his evidence is found to be false—

(*a*) 12 Yrs. R.I. ☐ (*b*) Death ☐

(*c*) 7 Yrs. R.I. ☐ (*d*) 14 Yrs. R.I. ☐

एक अभियुक्त को हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गयी । उस साक्षी को क्या दण्ड मिलेगा, यदि उसका साक्ष्य मिथ्या पाया जाता है--

(क) 12 वर्ष सश्रम कारावास ☐ (ख) मृत्युदण्ड ☐

(ग) 7 वर्ष सश्रम कारावास ☐ (घ) 14 वर्ष सश्रम कारावास । ☐

8. Cases will be registered under following Section if one destroys Evidence in dowry death case—

(*a*) 304B I.P.C. ☐ (*b*) 182 I.P.C. ☐

(*c*) 201 I.P.C. ☐ (*d*) (a) and (c). ☐

यदि दहेज हत्या के मामले में कोई साक्ष्य नष्ट करता है, तो किस धारा में केस होगा--

(क) 304बी० भा०द०वि० ☐ (ख) 182 भा०द०वि० ☐

(ग) 201 भा०द०वि० ☐ (घ) (क) एवं (ग) । ☐

9. Which of the following is not essential for dowry death—

(*a*) Death occuring within 7 yrs of marriage ☐

(*b*) Death occuring only by burning ☐

(*c*) Harrassment before death ☐

(*d*) Harrassment by in-laws regarding dowry. ☐

दहेज हत्या के लिये निम्नलिखित में से कौन तत्व आवश्यक नहीं है--

(क) शादी के सात वर्ष के अंदर में मृत्यु ☐ (ख) केवल जलने से मृत्यु ☐

(ग) मृत्यु के पूर्व क्रूरता ☐ (घ) दहेज हेतु ससुराल वाले द्वारा क्रूरता । ☐

10. In a bribery case a private person who obtains bribe to influence Government Servants commits offence under—

(*a*) Sec. 7 P.C. Act ☐ (*b*) Sec. 8 P.C. Act ☐
(*c*) Sec. 9 P.C. Act ☐ (*d*) Both (b) and (c). ☐

घूसखोरी के मामले में लोक सेवक द्वारा वैयक्तिक असर डालने के लिये अन्य व्यक्ति द्वारा घूस लेने का अपराध आयेगा--

(क) धारा 7 प्र०नि०अधि० ☐ (ख) धारा 8 प्र०नि०अधि० ☐
(ग) धारा 9 प्र०नि०अधि० ☐ (घ) (ख) एवं (ग) । ☐

11. The Karnataka H.C. acquitted Miss Jayalalitha in the DA case on the gorund that DA according to it is only 8.12 % whereas in the Krishnanand Agnihotri *vs.* State of MP the laid down principle is that the accused is entitled to acquittal if DA is to extent of—

(*a*) 20% ☐ (*b*) 33% ☐
(*c*) 10% ☐ (*d*) 15%. ☐

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुश्री जयललिता का आय से अधिक संपत्ति का मामला इस कारण बंद कर दिया क्योंकि उसके अनुसार आय से केवल 8.12 प्रतिशत अधिक संपत्ति था जबकि कृष्णानंद अग्निहोत्री बनाम मध्य प्रदेश राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि यदि आय से..............प्रतिशत तक अधिक संपत्ति है, तो अभियुक्त दोषमुक्त के काबिल है--

(क) 20 प्रतिशत ☐ (ख) 33 प्रतिशत ☐
(ग) 10 प्रतिशत ☐ (घ) 15 प्रतिशत । ☐

12. During Trial in a criminal cases, the burden of proof lies on—

(*a*) Prosecution ☐ (*b*) Accused ☐
(*c*) Defence ☐ (*d*) Court. ☐

आपराधिक मामले के विचारण में आरोप साबित करने का भार होता है--

(क) अभियोजन पक्ष पर ☐ (ख) अभियुक्त पर ☐
(ग) बचाव पक्ष पर ☐ (घ) न्यायालय पर । ☐

13. A Munsi of a contractor fled away with 1 lakh rupees entrusted to him by the contractor, Munsi has committed offence under—

(*a*) 406 I.P.C. ☐ (*b*) 407 I.P.C. ☐
(*c*) 408 I.P.C. ☐ (*d*) 409 I.P.C. ☐

ठेकेदार द्वारा रखने के लिये दिये गये एक लाख रुपये लेकर चंपत हुये मुंशी ने क्या अपराध किया--

(क) 406 भा०द०वि० ☐ (ख) 407 भा०द०वि० ☐
(ग) 408 भा०द०वि० ☐ (घ) 409 भा०द०वि० । ☐

14. Police has submitted chargesheet in a case.It finds further evidence in that case. Further investigation can be carried out under—

(*a*) 172(2) Cr. P.C. ☐ (*b*) 173(8) Cr. P.C. ☐
(*c*) 173(1) Cr. P.C. ☐ (*d*) 184(8) Cr. P.C. ☐

पुलिस ने किसी केस में आरोप-पत्र दाखिल किया है । बाद में उसे अन्य सबूत प्राप्त होते हैं । अग्रतर अनुसंधान किस नियम के तहत किये जा सकते हैं--

(क) 172(2) द०प्र०सं० ☐ (ख) 173(8) द०प्र०सं० ☐
(ग) 173(1) द०प्र०सं० ☐ (घ) 184(8) द०प्र०सं० । ☐

15. If 'A' represents to another person and makes him believe that he has divine power and thereby deceives him, this is punishable under—

(*a*) 415 I.P.C. ☐ (*b*) 417 I.P.C. ☐
(*c*) 416 I.P.C. ☐ (*d*) 420 I.P.C.. ☐

P.T.O.

यदि 'ए' किसी अन्य व्यक्ति से यह अभ्यावेदन करता है और उसे अन्य व्यक्ति को विश्वास दिलाकर प्रवर्चना करता है कि उसको दैवीय शक्ति है, यह दण्डनीय है--

(क) 415 भा०द०वि० ☐ (ख) 417 भा०द०वि० ☐
(ग) 416 भा०द०वि० ☐ (घ) 420 भा०द०वि० । ☐

16. Where can a warrant be executed—

(*a*) Anywhere in India ☐ (*b*) Within Jurisdiction of the Court issuing it ☐
(*c*) Both the above ☐ (*d*) None of the above. ☐

वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है--

(क) भारत में कहीं भी ☐
(ख) जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में ☐
(ग) उपरोक्त दोनों ☐
(घ) इनमें से कोई नहीं । ☐

17. In which of the following cases, preliminary inquiry before registration of FIR may be done—

(*a*) Corruption cases against public servant ☐
(*b*) Cases of medical negligence against doctor ☐
(*c*) Matrimoial dispute ☐
(*d*) All of the above. ☐

निम्नलिखित में से किस प्रकार के काण्डों में प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व प्रारंभिक जाँच की जा सकती है--

(क) लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले ☐
(ख) चिकित्सक के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही के मामले ☐
(ग) वैवाहिक विद्वेष के मामले ☐
(घ) उपरोक्त सभी । ☐

18. The new chapter incorporated in Cr. P.C. by the Criminal Law (Amendment) Act, 2005—

(*a*) XXI A ☐ (*b*) XXIII A ☐
(*c*) XXII A ☐ (*d*) XXIV A. ☐

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा द०प्र०सं० में कौन-सा नया अध्याय जोड़ा गया--

(क) 21 क ☐ (ख) 23 क ☐
(ग) 22 क ☐ (घ) 24 क । ☐

19. Provision of writing case diary daily during investigation of a case is given in—

(*a*) Sec. 154 Cr. P.C. ☐ (*b*) Sec. 172 Cr. P.C. ☐
(*c*) Sec. 157 Cr. P.C. ☐ (*d*) Sec. 173 Cr. P.C.. ☐

अन्वेषण के दौरान प्रतिदिन काण्ड दैनिकी लिखने का प्रावधान दिया गया है--

(क) धारा 154 द०प्र०सं० ☐ (ख) धारा 172 द०प्र०सं० ☐
(ग) धारा 157 द०प्र०सं० ☐ (घ) धारा 173 द०प्र०सं० । ☐

20. It is improper to place head dress on the table of a Superior Officer or to retain it on one's head while sitting. This provision is mentioned in Bihar Police Manual Rule—

(*a*) 692 ☐ (*b*) 704 ☐
(*c*) 647 ☐ (*d*) 778. ☐

वरीय पदाधिकारी के टेबुल पर टोपीर/पगड़ी रखना या बैठे रहने की स्थिति में उसे धारण करना अनुचित है । यह प्रावधान बिहार पुलिस हस्तक के किस नियम में है--

(क) 692 ☐ (ख) 704 ☐

(ग) 647 ☐ (घ) 778 । ☐

21. Previous conviction of a person is relevant under—

(*a*) Explanation I to Sec. 14 Evidence Act ☐

(*b*) Explanation II to Sec. 14 Evidence Act ☐

(*c*) Explanation III to Sec. 14 Evidence Act ☐

(*d*) Explanation IV to Sec. 14 Evidence Act. ☐

किसी व्यक्ति का पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है--

(क) भा०स०अधि० की धारा 14 का स्पष्टीकरण I ☐

(ख) भा०स०अधि० की धारा 14 का स्पष्टीकरण II ☐

(ग) भा०स०अधि० की धारा 14 का स्पष्टीकरण III ☐

(घ) भा०स०अधि० की धारा 14 का स्पष्टीकरण IV । ☐

22. 'A' a Police officer, tortures 'Z' in order to induce 'Z' to confess that he has committed the crime. 'A' has committed offence under Section—

(*a*) Sec. 330 I.P.C. ☐ (*b*) Sec. 329 I.P.C. ☐

(*c*) Sec. 342 I.P.C. ☐ (*d*) Sec. 333 I.P.C. ☐

'ए' एक पुलिस पदाधिकारी, 'जेड' को यह संस्वीकृति करने के लिये उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिये यातना देता है । 'ए' ने अपराध किया है--

(क) धारा 330 भा०द०वि० का ☐ (ख) धारा 329 भा०द०वि० का ☐

(ग) धारा 342 भा०द०वि० का ☐ (घ) धारा 333 भा०द०वि० का । ☐

23. Deputy-Inspector General of Police can't impose one of the following punishment to a police inspector—

(*a*) Censure ☐ (*b*) Dismissal ☐

(*c*) Reduction in rank ☐ (*d*) Forfeiture of last increment. ☐

पुलिस उप-महानिरीक्षक किसी पुलिस निरीक्षक को निम्नलिखित में से कौन दण्ड नहीं दे सकते हैं--

(क) निंदन ☐ (ख) बर्खास्तगी ☐

(ग) पंक्तिच्यूति ☐ (घ) वेतनवृद्धि समपहरण । ☐

24. Evidence given by a dumb witness shall be deemed to be—

(*a*) Documentary Evidence ☐ (*b*) Oral Evidence ☐

(*c*) Incompetent Witness ☐ (*d*) None of the above. ☐

बोलने में असमर्थ कोई गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य समझा जायेगा--

(क) दस्तावेजी साक्ष्य ☐ (ख) मौखिक साक्ष्य ☐

(ग) असक्षम साक्ष्य ☐ (घ) इनमें से कोई नहीं । ☐

25. Police shall not be compelled to disclose the source of information he got regarding commission of an offence. The provision is under—

(*a*) Sec. 93 I.P.C. ☐ (*b*) Sec. 124 I.E.A. ☐

(*c*) Sec. 96 I.P.C. ☐ (*d*) Sec. 125 I.E.A.. ☐

पुलिस पदाधिकारियों को यह कहने के लिये विवश नहीं किया जायेगा कि अपराध के लिये जाने की जानकारी कहाँ से मिली । यह प्रावधान है--

(क) धारा 93 भा०द०वि० ☐ (ख) धारा 124 भा०स०अधि० ☐

(ग) धारा 96 भा०द०वि० ☐ (घ) धारा 125 भा०स०अधि० । ☐

26. The provision of making separate statement of witness in case diary is mentioned in—

(*a*) 160 Cr. P.C. ☐ (*b*) No such provision ☐

(*c*) 161 Cr. P.C. ☐ (*d*) 162 Cr. P.C.. ☐

काण्ड दैनिकी में अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षी का कथन अलग-अलग अभिलेखित करने का प्रावधान है--

(क) 160 द०प्र०सं० ☐ (ख) कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं ☐

(ग) 161 द०प्र०सं० ☐ (घ) 162 द०प्र०सं० । ☐

27. In a case instituted on Police report, magistrate shall provide statement of all persons whom the prosecution proposes to examine. But according to which Sectrion of Cr. P.C., some statement can not be given by magistrate on request of police officer—

(*a*) Sec. 161 Cr. P.C. ☐ (*b*) Sec. 162 Cr. P.C. ☐

(*c*) Sec. 173 Cr. P.C. ☐ (*d*) Sec. 202 Cr. P.C.. ☐

पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में अभियुक्त को, उन सभी व्यक्तियों के कथन, जिनका अभियोजन का परीक्षण का विचार है, मजिस्ट्रेट द्वारा देना होता है । द०प्र०सं० की किस धारा के तहत कुछ कथन को पुलिस पदाधिकारी के निवेदन पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त को नहीं देगा--

(क) धारा 161 द०प्र०सं० ☐ (ख) धारा 162 द०प्र०सं० ☐

(ग) धारा 173 द०प्र०सं० ☐ (घ) धारा 202 द०प्र०सं० । ☐

28. If special circumstances exist for arrest of any women after sunset and before sunrise the woman officer has to take prior permission of—

(*a*) District Magistrate ☐ (*b*) Superintendent of Police ☐

(*c*) JM 1st Class ☐ (*d*) District and Session Judge. ☐

किसी भी स्त्री की सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तारी की परिस्थितियाँ होने पर महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी--

(क) जिला दण्डाधिकारी ☐ (ख) पुलिस अधीक्षक ☐

(ग) प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी ☐ (घ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश । ☐

29. When, any property which is attached, can be sold—

(*a*) After claim under Sec. 84 Cr. P.C. ☐

(*b*) 6 Months after attachment ☐

(*c*) When it is expedient to dispose in interest of owner ☐

(*d*) All the above. ☐

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय कब किया जा सकता है--

(क) द०प्र०सं० की धारा 84 के तहत आपत्तियों का निबटारा के बाद ☐

(ख) कुर्की के 6 माह बाद ☐

(ग) न्यायालय की राय में सम्पत्ति का विक्रय सम्पत्ति के स्वामी के हित में है ☐

(घ) उपर्युक्त सभी । ☐

30. Which is not an essential element for criminal conspiracy—

(*a*) At least 5 persons ☐ (*b*) Agree to do illegal act ☐

(*c*) Agreement among the members ☐ (*d*) Legal act by illegal means. ☐

आपराधिक षड्यंत्र के लिये कौन-सा तत्व आवश्यक नहीं है--

(क) कम-से-कम 5 व्यक्ति ☐ (ख) अवैध कार्य करना ☐

(ग) व्यक्तियों के बीच कार्य की सहमति होना ☐ (घ) वैध कार्य अवैध तरीके से करना। ☐

31. Which Section of P.C. Act, 1988 provides for inspection of bank records and ledgers—

(*a*) Sec. 19 ☐ (*b*) Sec. 17 ☐

(*c*) Sec. 14 ☐ (*d*) Sec. 18. ☐

सी०पी० ऐक्ट, 1988 के तहत बैंककार/बहियों के अवलोकन का अधिकार का प्रावधान किस धारा में है--

(क) धारा 19 ☐ (ख) धारा 17 ☐

(ग) धारा 14 ☐ (घ) धारा 18। ☐

32. Statement taken by IO u/s 161 Cr. P.C. may be used by the prosecution—

(*a*) As evidence ☐ (*b*) As secondary evidence ☐

(*c*) For contradiction ☐ (*d*) For assistance is Trial. ☐

अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा 161 द०प्र०सं० के तहत लेखबद्ध किया गया बयान अभियोजन के द्वारा उपयोग में लाया जाता है--

(क) साक्ष्य के रूप में ☐ (ख) द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ☐

(ग) खण्डन करने के लिये ☐ (घ) विचारण में सहयोग हेतु। ☐

33. As per Bihar Police Manual, who is the living symbol of administration—

(*a*) SHO ☐ (*b*) Constable ☐

(*c*) Patrolling Vehicle ☐ (*d*) SP.. ☐

बिहार पुलिस हस्तक के अनुसार किसे शासन के कायगि का पुर्जा माना गया है--

(क) थानाध्यक्ष ☐ (ख) सिपाही ☐

(ग) गश्ती वाहन ☐ (घ) पुलिस अधीक्षक। ☐

34. The provision of NDPS Act that provides for the right of accused regarding his personal search is given in—

(*a*) Sec. 52 ☐ (*b*) Sec. 50 ☐

(*c*) Sec. 22 ☐ (*d*) Sec. 47.. ☐

एन०डी०पी०एस० ऐक्ट में यह प्रावधान किस धारा में है, जिसमें हिरासत में लिये गये व्यक्ति की तलाशी लेने के दौरान उसे कुछ अधिकार दिये गये हैं--

(क) धारा 52 ☐ (ख) धारा 50 ☐

(ग) धारा 22 ☐ (घ) धारा 47। ☐

35. Sanction from the Government is needed before initiating prosecution against any public servant for his work done while dispersing an unlawful assembly. This is as per—

(*a*) Sec. 197 Cr. P.C. ☐ (*b*) Sec. 196 Cr. P.C. ☐

(*c*) Sec. 132 Cr. P.C. ☐ (*d*) None of the above. ☐

लोक सेवक द्वारा किये गये ऐसे कार्य के लिये अभियोजन की प्रक्रिया सरकारी मंजूरी से ही शुरू की जायेगी, जो विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने के लिये की गयी है। यह प्रावधान है--

(क) धारा 197 द०प्र०सं० ☐ (ख) धारा 196 द०प्र०सं० ☐

(ग) धारा 132 द०प्र०सं० ☐ (घ) इनमें से कोई नहीं। ☐

36. Bihar Special Court Act, 2009 provides for constitution of special court for Speedy Trial of P.C. Act cases against public servant. It provides that Special Court shall endeavour to dispose the trial in.......year from date of its institution or transfer—

(*a*) One Yr. ☐ (*b*) Two Yr. ☐
(*c*) Three Yr. ☐ (*d*) No limit. ☐

लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के काण्डों के त्वरित विचारण हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 में विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसके अनुसार विशेष न्यायालय मामले के विचारण को मामला के संस्थित किये जाने अथवा अंतरण की तारीख के..........वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा--

(क) एक वर्ष ☐ (ख) दो वर्ष ☐
(ग) तीन वर्ष ☐ (घ) कोई सीमा नहीं। ☐

37. Who can commute the sentence of imprisonment for life under the Code of Criminal Procedure—

(*a*) The appropriate Government ☐ (*b*) The President of India ☐
(*c*) The Governor of the State ☐ (*d*) Only Central Government. ☐

द०प्र०सं० के अनुसार आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण कौन कर सकता है--

(क) समुचित सरकार ☐ (ख) भारत के राष्ट्रपति ☐
(ग) राज्य के राज्यपाल ☐ (घ) केवल केन्द्र सरकार। ☐

38. When an accused does not have sufficient means to engage pleader, the Sessions Court may assign a pleader for his defence at the expense of the State. It is ensured by which Section of the Cr. P.C. Code—

(*a*) Section 301 ☐ (*b*) Section 304 ☐
(*c*) Section 306 ☐ (*d*) Section 305. ☐

जहाँ अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिये पर्याप्त धन नहीं है, वहाँ सेशन न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिये राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। यह प्रावधान द०प्र०सं० की किस धारा में है--

(क) धारा 301 ☐ (ख) धारा 304 ☐
(ग) धारा 306 ☐ (घ) धारा 305। ☐

39. Point out incorrect answer The First Information Report means—

(*a*) Report about Cognizable offence ☐
(*b*) Information given to the Police Officer ☐
(*c*) It is necessary to read it out to the informant after reducing it to writing ☐
(*d*) It must always be given in writing. ☐

गलत उत्तर चुनें-प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब है--

(क) संज्ञेय अपराध के बारे में रिपोर्ट ☐
(ख) पुलिस पदाधिकारियों को दी गयी सूचना ☐
(ग) उसको लेखबद्ध कर सूचक को पढ़कर सुनाना आवश्यक है ☐
(घ) हमेशा लिखित रूप में दी जायेगी। ☐

40. Under which Section of the Code of Criminal Procedure an accused person can himself be a competent witness—

(*a*) Section 311 ☐ (*b*) Section 313 ☐
(*c*) Section 315 ☐ (*d*) Section 319. ☐

द०प्र०सं० के किस धारा के तहत अभियुक्त व्यक्ति स्वयं एक सक्षम साक्षी हो सकता है--

(क) धारा 311 ☐ (ख) धारा 313 ☐
(ग) धारा 315 ☐ (घ) धारा 319। ☐

Part-'B'/खंड-'ख'

Short answer type questions/लघु उत्तरीय प्रश्न

*Answer any **four** questions. Each answer of the question should be **100** words.*
किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **100** (सौ) शब्दों में दें । 5×4=20

1. Describe the offences relating to elections mentioned in Indian Penal Code.
भारतीय दण्ड विधान में चुनाव संबंधी अपराध का वर्णन करें ।

2. Explain examination-in-chief, cross examination, re-examination.
मुख्य परीक्षण, पुनः परीक्षण, प्रतिपरीक्षण का वर्णन करें ।

3. "Men can lie but circumstances can't". Explain.
''मनुष्य झुठ बोल सकता है, परिस्थितियाँ नहीं'' । व्याख्या करें ।

4. What is Estoppel. Explain with example.
विबंध से क्या समझते हैं ? उदाहरण के साथ वर्णन करें ।

5. Describe some recent provisions of law/order for offences against women.
महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी नये आदेश/कानून का उल्लेख करें ।

6. Discuss the category of persons whose act of offence is no offence under I.P.C..
उन श्रेणी के व्यक्तियों के उल्लेख करें, जिनके द्वारा कारित आपराधिक कृत्य, भा०द०वि० के अनुसार अपराध नहीं है ।

Part-'C'/खंड-'ग'

Long answer type questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Answer any ***three*** *quoting relevant provisions of law.*
किन्ही तीन प्रश्नों का उत्तर दें जिसमें सुसंगत धाराओं का उल्लेख हो । 20×3=30

1. Discuss the circumstances under which right of private defence of body and property extends to causing death.
उन परिस्थितियों का वर्णन करें, जिसमें शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा एवं सम्पत्ति का प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है ।

2. Explain the powers to suspend, remit and commute any sentence of punishment under Cr. P.C..
कारावास के दण्डादेशों का निलंबन, परिहार एवं लघुकरण के बारे में द०प्र०सं० के प्रावधानों का वर्णन करें ।

3. Explain the duties of police officers and penalties for neglect of duty as per Police Act, 1861.
पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिये शास्तियों का वर्णन करें ।

4. Discuss the provisions under NDPS Act, 1985 regarding disposal of seized narcotic drugs including Pre Trial disposal.
एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, 1985 में विचारण पूर्व जप्त स्वापक औषधि के व्ययन के प्रावधानों का वर्णन करें ।

5. Mention some cyber crimes being committed these days and the ways to tackle them. Discuss the offences mentioned in I.T. Act, 2000.
वर्तमान समय में घटित हो रहे कुछ साईबर अपराध का उल्लेख करें एवं उनसे निपटने के तरीकों पर प्रकाश डालें । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में निहित अपराधों का वर्णन करें ।